

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 61]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 8, 2015/पौष 18, 1936

No. 61]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 8, 2015/PAUSHA 18, 1936

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2015

का.आ. 113(अ).—यतः मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग ने दिनांक 6 अप्रैल, 2010 की अधिसूचना संख्या 7-8/2009-एमसी के तहत डॉ. मोहिन्दर सिंह की राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग (जिसे इसके पश्चात आयोग कहा जाएगा) में पांच वर्ष की अवधि के लिए सदस्य के रूप में नियुक्ति की सूचना प्रकाशित की थी;

और यतः डॉ. मोहिन्दर सिंह ने 30 सितम्बर, 2014 को अपना त्यागपत्र दे दिया था;

अतः अब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था अधिनियम, 2004 (2005 का 2) की धारा 5 की उप-धारा 4 के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा डॉ. मोहिन्दर सिंह की असमाप्त अवधि तक डॉ. नाहिद आबिदी को उक्त आयोग में 7 अप्रैल, 2015 से जिस तिथि से वे कार्यभार ग्रहण करेंगी, सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

2. वह अपने द्वारा वर्तमान में धारित किसी अन्य पद को त्यागने का विवरण प्रस्तुत करेंगी।
3. डॉ. नाहिद आबिदी का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

[फा. सं. 7-8/2009-एमसी]

राकेश रंजन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT**(Department of Higher Education)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th January, 2015

S.O. 113(E).—Whereas the Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education vide notification No. F. 7-8/2009-MC, dated the 6th April, 2010, published the appointment of Dr. Mohinder Singh as Member in the National Commission for Minority Educational Institutions (hereinafter referred to as the said Commission) for a term of five years;

And whereas Dr. Mohinder Singh has tendered his resignation on the 30th September, 2014;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section(2) of Section 3 read with sub-section (4) of Section 5 of the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004 (2 of 2005), the Central Government hereby nominates Dr. Naheed Abidi as Member of the said Commission for the unexpired period of the term of Dr. Mohinder Singh upto 7th April, 2015, from the date on which she assumes office.

2. She shall furnish a statement of having relinquished any other office currently held by her.
3. The headquarters of Dr. Naheed Abidi will be New Delhi.

[F. No. 7-8/2009-MC]

RAKESH RANJAN, Jt. Secy.